

**बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग**

पत्रांक : यो0स्था04 / 1-09 / 2025 / यो0वि0,पटना, दिनांक सितम्बर, 2025
प्रेषक,

ददन प्रसाद खरवार
सरकार के अवर सचिव

सेवा में,

सुश्री अजकिया जावेद,

ई-मेल / डाक

तत्कालीन सहायक योजना पदाधिकारी, रोहतास
सम्प्रति प्रतिनियुक्त क्षेत्रीय योजना कार्यालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा
विषय : स्पष्टीकरण समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग : जिला योजना पदाधिकारी, रोहतास का पत्रांक-1762 दिनांक-15.09.2025
महाशया,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा सूचित किया गया है कि आपके द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या-3566 दिनांक-30.06.2025 के अनुपालन में दिनांक-07.07.2025 के पूर्वाह्न में प्रभार ग्रहण किया गया। प्रभार ग्रहण करने के उपरान्त आप दिनांक-08.07.2025 से कार्यालय से अनुपस्थित रही।

जिला योजना पदाधिकारी द्वारा आपकी अनुपस्थिति के संबंध में दूरभाष के माध्यम से पृच्छा की गयी तो आपने बताया कि आप Transit Leave पर हैं। उनके द्वारा आपको पारगमन अवकाश काल संबंधी नियमों से अवगत कराते हुए आकस्मिक अवकाश हेतु आवेदन की माँग की गयी, परन्तु आवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया और न ही कार्यालय में उपस्थित रही। इस प्रकार, आप दिनांक-08.07.2025 से दिनांक-14.07.2025 तक 07 दिनों तक अनधिकृत रूप से कार्यालय से अनुपस्थित रही हैं। कार्यालय में दिनांक-15.07.2025 को उपस्थित होकर उसी दिन अपराह्न में मौखिक सूचना के आधार पर दिनांक-16.07.2025 से दिनांक-18.07.2025 तक 03 दिन अनुपस्थित रही हैं। इस तरह प्रतिवेदनानुसार आप कुल 10 दिनों तक अपने कार्यालय से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रही हैं। आपका यह कृत्य कर्तव्यहीनता एवं अनुशासनहीनता का द्योतक है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में पत्र प्राप्ति के 15 कार्य दिवस के अंदर इस संबंध में स्पष्टीकरण अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से विभाग को समर्पित करना सुनिश्चित करें अन्यथा यह मान लिया जायेगा कि आपको इस संबंध में कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं करना है। ततपश्चात, विभाग नियमानुसार आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु स्वतंत्र होगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाजन

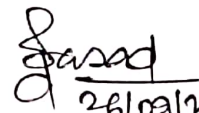
ह0/-

(ददन प्रसाद खरवार)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : यो0स्था04 / 1-09 / 2025 / यो0वि0,पटना, दिनांक सितम्बर, 2025
प्रतिलिपि : क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, क्षेत्रीय योजना कार्यालय, कोशी प्रमंडल,
सहरसा / जिला योजना पदाधिकारी, जिला योजना कार्यालय, रोहतास को
उनके पत्रांक-1762 दिनांक-15.09.2025 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला योजना पदाधिकारी, जिला योजना कार्यालय, रोहतास को
निर्देशित किया जाता है कि सुश्री जावेद के उक्त मामले के संबंध में सक्षम
स्तर से निर्णय होने तक के लिए उनका अनाधिकृत अनुपस्थित अवधि का
वेतन No Work No Pay के आधार पर स्थगित रखा जाय।

ज्ञापांक : यो0स्था04 / 1-09 / 2025 / यो0वि0,पटना, दिनांक 26 सितम्बर, 2025
प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय
वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ह0 / -
सरकार के अवर सचिव

26/09/2025
सरकार के अवर सचिव